| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| | | |

**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची**

**एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 91 / 2008**

**माईकल मुण्डा बनाम् अमित कुमार मिश्रा**

**21/03/2022**

प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा वाद सख्या–12R-15 / 2005–06 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद को दिनांक–25.11.2008 को सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया। इसके बाद से ही आवेदक लगातार इस सुनवाई में अनियमित रहे है। दिनांक–21.09.2015 को आवेदक के पुत्र द्वारा उनके मृत्यु की सूचना देते हुये प्रतिस्थापन हेतु आवेदन दिया गया किन्तु उक्त आवेदन पर आज तक कोई आदेश पारित नहीं हो सका, क्योंकि आवेदकों की तरफ से उक्त तिथि के पश्चात् कोई पैरवी नहीं की गयी। आवेदकों को उनका पक्ष रखने हेतु दिनांक–01.03.2021, 28.12.2021, 06.01.2022, 24.02.2022 तथा 03.03.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु लगातार मौका दिया गया किन्तु वे न्यायालय में वे उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।

प्रश्नगत् वाद में खाता संख्या–79, खेसरा–527, रकबा–1.05 डिसमिल, मौजा–बड़गांवा के भूमि का विषय सम्मिलित है। सर्वप्रथम इस भूमि की वापसी के लिये भूमि वापसी वाद–68 / 96–97 दायर हुआ, जिसमें भूमि वापसी के दावे को अमान्य कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध उपायुक्त न्यायालय में अपील संख्या–137R–15 / 1998–99 में दायर किया गया। जिसमें उपायुक्त द्वारा वाद की पुनः सुनवाई करते हुये निर्णय लेने हेतु प्रति प्रेषित किया गया। उक्त प्रति प्रेषण के पश्चात् विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा विषय की समीक्षा करते हुये भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आदेश को संशोधित करते हुये धारा–71(A), परन्तुक–02 का लाभ देते हुये भूईंहारी रैयत के वंशजों को क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है।

आवेदकों का मुख्य दावा उपायुक्त द्वारा निर्धारित भूमि के मुआवजा दर के निर्धारण से संबंधित है। उनके द्वारा प्रश्नगत् इलाके में वर्तमान बाजार दर के आधार पर मुआवजा भुगतान का दावा किया गया है।

प्रश्नगत् भूमि का मूल हस्तांतरण दिनांक–11.08.1983 को दरोगा सिंह नामक व्यक्ति द्वारा विपक्षियों को किया गया है। हाल सर्वे का बन्दा पर्चा भी विपक्षियों के नाम से है। उभय पक्षों के बीच एक Title Suit 1966 में दायर किया गया था, जिसमें समझौता के आधार पर आदेश पारित हुआ। इसी कारण

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| | | |

विनियमन पदाधिकारी द्वारा उक्त डिक्री को अमान्य किया गया। विनियमन पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि का अंतरण 1966 के आस–पास हुआ होगा, जबकि विपक्षियों का दावा है कि आवेदक के पिता–नेथनियल कच्छप एवं दरोगा सिंह के बीच 1951 में एकारनामा हुआ तथा उसी समय से वे भूमि पर दखलकार हुये। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तांतरण 1966 से पूर्व होने का निष्कर्ष दिया गया किन्तु धारा–71 (A) के परन्तुक 02 का लाभ दिये जाने के बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया कि प्रश्नगत् भूमि पर Schedule Area Regulation 1969 के लागू होने के पूर्व कोई मकान अथवा अन्य निर्माण अवस्थित था। यह भी विचारणीय है कि उपायुक्त न्यायालय में विपक्षियों की तरफ से अथवा आवेदक के तरफ से ऐसा कोई दावा भी नहीं किया गया था। दिनांक–18.08.2004 को विशेष पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित होने के पश्चात उपायुक्त के समक्ष दिनांक–16.05.2005 को विलम्ब से अपील दायर की गयी। उपायुक्त न्यायालय के आदेश–फलक में इस विलम्ब में क्षान्त किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्टतः आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण के बिन्दु को मान्य करने के पश्चात् उपायुक्त के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं था, जिससे कि प्रश्नगत् भूमि पर 1969 के पूर्व समुचित निर्माण अवस्थित रहने के बिन्दु पर पुष्टि होती हो। इसके बावजूद भी उपायुक्त न्यायालय द्वारा बिना कोई विशेष कारण दर्शाये इस वाद को धारा–71 (A) के परन्तुक (2) के विरूद्ध मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। वर्णित परिस्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित मुआवजा भुगतान के आदेश को रद्द करते हुये विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को भूमि वापसी के आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है। प्रश्नगत् वाद में उभय पक्ष न्यायालय से अनुपस्थित रहे हैं, किन्तु यह विषय आदिवासी रैयती भूमि के अवैध हस्तांतरण से संबंधित है। राजस्व न्यायालयों का यह दायित्व है कि ऐसे मामलों में आदिवासी रैयतों का हितों का ध्यान में रखते हुये उचित आदेश पारित किये जाये। अतः आवेदक की अनुपस्थिति में भी यह आदेश पारित किया जा रहा है। आदेश की एक प्रति उभय पक्षों को निबंधित डाक से प्रेषित करें तथा उपायुक्त, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 15:34:18 +05:30
Location: 10.93.72.187

प्रमण्डलीय आयुक्त

प्रमण्डलीय आयुक्त